भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3485

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

क्रेडिट कार्ड कंपनियां

3485. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों/बैंकों की संख्या कितनी है और क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जुड़ने वाले क्रेडिट कार्ड धारकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान कंपनी/बैंक द्वारा भुगतान चूककर्ताओं से वसूली गई ब्याज की दर कंपनी/बैंक-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों/बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर का विनियमन न होने के कारण वे उच्च वार्षिक ब्याज दर वसूल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, 34 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 48,920,802 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वर् 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रेडिट कार्ड की संख्या में हुई वृद्धि/कमी का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 18.10.1994 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा स्वीकृत किए गए अग्रिमों पर ब्याज दर को नियंत्रणमुक्त कर दिया है और बैंकों द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण, आरबीआई के दिनांक 3.3.2016 के मास्टर निदेश में अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में दिए गए विनियामकीय दिशानिर्देशों के अध्यधीन अपने संबंधित निदेशक मण्डल के अनुमोदन से निर्धारित किया जाता है।

(ग) और (घ): "बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रूपे मूल्य वर्ग के सह-ब्रांडेड प्रीपेड कार् परिचालन और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी)" के संबंध में आरबीआई के दिनांक 1.7.2015 के मास्टर परिपत्र के भाग-I के पैरा 5.1 के अनुसार, बैंकों को सलाह दी गयी है:-

- क्रेडिटकार्डकी देयताओं पर ब्याज दर का निर्धारणकरते समय आरबीआई द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित अग्रिमोंपर ब्याज दर संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करें, जहां पर उत्तरवर्तीऔर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रव्यक्तिगत ऋणों की प्रकृतिके हैं।
- क्रेडिटकार्डके संबंध में प्रोसेसिंगऔर अन्य शुल्कों सहित ब्याज की सीमा दर निर्धारितकरें। यदि बैंक/एनबीएफसी ऐसी ब्याज दरें लगाते हैं, जो कार्डधारक के भुगतान/चूक के इतिवृत्त के आधार पर अलग-अलग हैं, तो इस प्रकार की विभेदक ब्याज दरों के लागू करने में पारदर्शिता होनी चाहिए/दूसरे शब्दों में यह तथ्य कि कार्डधारक को उसके भुगतान/चूक के इतिवृत्तके लिए उच्च ब्याज दर वसूल की जा रही है, के संबंध में कार्डधारक को सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनके लिए ग्राहकोंकी विभिन्न श्रेणियोंके लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में बैंकों को अपनी वेबसाइट और अन्य साधनों के माध्यम से प्रचारकरना चाहिए। बैंकों/एनबीएफसी द्वारा वित्तप्रभारोंकी गणना पद्धति के बारे में क्रेडिट कार्डधारक को अग्रिमसूचना दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित मास्टर परिपत्र के पैरा 5.2(ख) के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओंको कार्ड उत्पादों पर (पृथक-पृथक रूप से खुदरा यदि अलग-अलग हों) खरीद के लिए और नकद अग्रिमके लिए, वार्षिकप्रतिशतदर (एपीआर) का उल्लेख करना चाहिए। बेहतर समझ के लिए एपीआर की गणना का तरीका कुछेक उदाहरणों के साथ दिया जाना चाहिए। एपीआर शुल्क और वार्षिक शुल्क को एक समान प्रमुखता के साथ दर्शाया जाना चाहिए। देर से भुगतान करने संबंधी प्रभार,ऐसे प्रभारोंकी गणना की पद्धति और दिनों की संख्या सहित प्रमुखतासे इंगित किया जाना चाहिए। ब्याज की गणना के लिए गैर-भुगतान की गयी बकाया राशि को शामिल करने के तरीके को भी विशेष रूप से सभी मासिक विवरणों में प्रमुखतासे दर्शायाजाना चाहिए। यहां तक कि जहां कार्ड की वैद्यता को बनाए रखने के लिए दर्शायी गयी न्यूनतम राशि का भुगतान किया गया है, उसे मोटे अक्षरोंमें दर्शाया जाना चाहिए कि भुगतान की देय तिथि के बाद देय राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। इन पहलुओं के मासिक विवरण में दर्शाए जाने के अलावा, वेलकम किट में दर्शाया जा सकता है। एक संकेत/इस आशय की एक सूचना कि “हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से आपकी पुनर्भुगतान की अवधि वर्षों तक चलती रहेगी और जिसके परिणामस्वरूप आपको उस पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा” को सभी मासिक विवरणों में प्रमुखतासे दर्शायाजाना चाहिए, जिससे कि ग्राहकोंको केवल देय न्यूनतम राशि के भुगतान करने के नुकसान के बारे में सचेत किया जा सके।

उपर्युक्त वर्णित मास्टर परिपत्र के पैरा 5.2(ग) के अनुसार, बैंकों/एनबीएफसी को केवल ‘न्यूनतम देय राशि’ का भुगतान करने के प्रभावोंके बारे में कार्डधारक को जागरूक करने के अपने प्रयासोंको आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्णनबिंधन और शर्तोंको विशेष रूप से समझाया जाना चाहिए कि पिछले महीने के बिल की कोई राशि बकाया होने पर ‘निःशुल्क क्रेडिटअवधि’ समाप्त हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए बैंक/एनबीएफसी व्याख्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्डधारकों को भेजे गए वेलकम किट में इसे शामिल कर सकते हैं और इसे उनकी वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं।

*****

अनुबंध

तालिका: क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और इन बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या-की स्थिति के अनुसार

							वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड में वृद्धि/गिरावट			
क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च 31, 2016	मार्च 31, 2017	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2019	मई 31, 2019	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20@
1	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	837,960	1,005,961	1,184,218	1,461,191	1,513,437	168,001	178,257	276,973	52,246
2	आंध्रा बैंक	149,050	168,394	234,555	301,234	303,397	19,344	66,161	66,679	2,163
3	एक्सिस बैंक लि.	2,413,568	3,346,735	4,486,394	5,959,857	6,170,677	933,167	1,139,659	1,473,463	210,820
4	बैंक ऑफ अमरीका	5,901	12,076	17,896	23,038	23,797	6,175	5,820	5,142	759
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	113,554	131,571	125,563	231,277	324,275	18,017	-6,008	105,714	92,998
6	बैंक ऑफ इंडिया	145,084	145,860	208,810	184,276	185,605	776	62,950	-24,534	1,329
7	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50,090	-	-	-	-	-50,090	-	-	-
8	केनरा बैंक	200,416	215,250	223,286	369,339	381,745	14,834	8,036	146,053	12,406
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	114,446	106,515	102,514	92,838	92,317	-7,931	-4,001	-9,676	-521
10	सिटी बैंक	2,397,114	2,525,548	2,671,617	2,710,776	2,714,145	128,434	146,069	39,159	3,369
11	सिटी यूनियन बैंक	-	626	5,018	6,701	6,762	626	4,392	1,683	61
12	कार्पोरेशन बैंक	80,381	96,332	105,878	110,594	111,173	15,951	9,546	4,716	579
13	डीसीबी बैंक लि.		6,464	28,610	85,477	100,273	6,464	22,146	56,867	14,796
14	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	6,870	7,487	7,597	6,613	6,582	617	110	-984	-31
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	7,281,693	8,544,721	10,686,376	12,486,918	12,679,846	1,263,028	2,141,655	1,800,542	192,928
16	हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	474,164	440,923	578,514	735,385	761,827	-33,241	137,591	156,871	26,442
17	आईसीआईसीआई बैंक लि.	3,653,052	4,253,992	4,997,535	6,645,716	7,013,846	600,940	743,543	1,648,181	368,130
18	आईडीबीआई लि.	6,905	21,510	27,025	33,034	33,317	14,605	5,515	6,009	283
19	इंडियन बैंक	73,106	80,229	86,411	87,320	87,772	7,123	6,182	909	452
20	इंडियन ओवरसीज बैंक	41,873	43,322	53,172	58,033	58,364	1,449	9,850	4,861	331
21	इंड्सइंड बैंक लि.	440,527	582,848	781,486	1,062,264	1,124,701	142,321	198,638	280,778	62,437
22	जम्मू और कश्मीर बैंक	45,906	457,214	127,772	139,657	141,126	411,308	-329,442	11,885	1,469
23	करूर वैश्य बैंक लि.	-	-	-	1,118	1,926	-	-	1,118	808
24	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	727,207	1,044,402	1,462,480	2,002,733	2,093,315	317,195	418,078	540,253	90,582
25	पंजाब नैशनल बैंक	194,370	253,951	319,641	334,113	355,448	59,581	65,690	14,472	21,335
26	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	149,820	281,236	799,962	1,715,101	1,924,849	131,416	518,726	915,139	209,748
27	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	1,010,712	1,092,615	1,253,784	1,290,826	1,305,087	81,903	161,169	37,042	14,261
28	भारतीय स्टेट बैंक	3,620,042	4,569,048	6,258,360	8,271,446	8,734,604	949,006	1,689,312	2,013,086	463,158
29	सिंडिकेट बैंक	71,735	73,858	84,339	45,722	45,690	2,123	10,481	-38,617	-32
30	तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक लि.	7,369	7,966	20,125	18,465	19,018	597	12,159	-1,660	553
31	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	142,221	182,914	218,242	46,459	48,018	40,693	35,328	-171,783	1,559
32	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,021	7,505	7,568	-	1,021	6,484	63
33	विजया बैंक*	45,081	49,098	61,246	64,116	-	4,017	12,148	2,870	-64,116
34	यस बैंक लिमिटेड	-	93,569	265,508	499,505	550,295	93,569	171,939	233,997	50,790
	कुल	**24,500,217**	**29,842,235**	**37,484,955**	**47,088,647**	**48,920,802**				

टिप्पणी: संख्याएं वास्तविक हैं

*: 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया।

@: आंकड़े केवल अप्रैल 2019 और मई 2019 के लिए हैं।